



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 14.07.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 14.07.2025 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है ।

1. थाना इकदिल

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 वर्ष 06 माह के कारावास एवं प्रत्येक को 2,500-2,500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 वर्ष 06 माह के कारावास एवं प्रत्येक को 2,500 - 2,500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.11.2016 को थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा थाना इकदिल पर सूचना पर दी कि अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी एवं उसके पति को मारपीट कर भाग गये जिसके संबंध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 520/2016 धारा 342/323/308/325/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र यादव एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को आज दिनांक 14.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी- II जनपद इटावा द्वारा 02 वर्ष 06 माह के कारावास एवं प्रत्येक को 2,500-2,500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. राजीव पुत्र शिवराज सिंह निवासी नगला वरी थाना इकदिल जनपद इटावा ।
2. छोटे उर्फ अनुज पुत्र स्व0 कायम सिंह निवासी नगला पक्षी थाना इकदिल जनपद इटावा ।
3. मनोज पुत्र भोगीराम निवासी वुआपुर थाना इकदिल जनपद इटावा ।
4. राजू उर्फ राकेश निवासी वुआपुर थाना इकदिल जनपद इटावा ।

2. थाना इकदिल

थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 307/2014 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजेएम-05, इटावा द्वारा अभियुक्त साहेब आलम पुत्र छुट्टन को 01 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायफ्ता अपराधी

साहेब आलम पुत्र छुट्टन निवासी आजाद नगर टीला थाना फ्रेण्सकालोनी जनपद इटावा ।